

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प035/2018/ ५४

दिनांक : ५/०५/2018

—: आदेश :—

शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प. 1(1)/चिस्वा/2/2014पार्ट दिनांक 09.11.2017 के अनुसरण में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम-1963 के नियम 26 में उपलब्ध प्रावधानों के अर्न्तगत वॉक-एण्ड-इन्टरव्यू द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर आवश्यक तदर्थ आधार (Urgent Temporary Basis) पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी का अनुमोदन एतद् द्वारा किया जाता है :-

| क्र. सं. | जिला | चिकित्सक का नाम व पिता/पति का नाम | जन्म तिथि | वर्ग | लिंग | पदस्थापन स्थान |
|----------|-------|---|-----------|------|-------|-----------------------|
| 1 | जयपुर | डॉ० नितेश कुमार यादव/श्री नारायण लाल यादव | 21.07.89 | | पुरुष | मु.चि. एवं स्वा.अधि. |
| 2 | | डॉ० राजीव चौधरी/श्री प्रहलाद सहाय | 11.05.89 | | पुरुष | प्रथम/द्वितीय के अधीन |
| 3 | | डॉ० राहुल मीणा/श्री रामसूर्य मीणा | 07.01.90 | | पुरुष | |
| 4 | | डॉ० निखिल बंसल/श्री दुर्गा प्रसाद | 05.01.91 | | पुरुष | |
| 5 | | डॉ० रामसहाय चौधरी/श्री जगदीश प्रसाद चौधरी | 15.04.91 | | पुरुष | |
| 6 | | डॉ० दिव्या यादव/श्री ज्ञानराम यादव | 03.12.95 | | महिला | |
| 7 | | डॉ० पूजा स्वामी/श्री रतन लाल वैष्णव | 30.06.90 | | महिला | |
| 8 | | डॉ० हितेश राज सिंह/श्री बृजराज सिंह | 29.01.92 | | पुरुष | |
| 9 | | डॉ० योगेश कुमार शर्मा/श्री छीतरमल शर्मा | 19.03.92 | | पुरुष | |

शेष शर्तें शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(1)/चि.स्वा./ग्रुप-2/2014 दिनांक 04/10/14 के अनुसार रहेगी।

नोट :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित को लेख है कि अभ्यर्थी के कार्यग्रहण के समस्त अनिवार्य रूप से डिग्री आरएमसी का रजिस्ट्रेशन व अन्य प्रमाण पत्र की जांच करें तथा उपरोक्त अनुमोदन में दिन अभ्यर्थियों के प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन व चिकित्सा अधिकारी (दत्त) है तो उनको कार्यग्रहण नहीं करावें।

५/५/१८

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा० विभाग, राज० जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त, संबंधित/ जिला कलक्टर, संबंधित।
4. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2), विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन-संबंधित।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित को भेजकर लेख है कि उक्त चयनित चिकित्सक को आपके अधीन लम्बे समय से आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त चल पदों पर पदस्थापन करते हुए कार्यग्रहण की सूचना 03 दिवस में अधो-हस्ताक्षरकर्ता को भिजवान, सुनिश्चित करें।
7. प्रभारी कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अवलोड करावें।
8. निजि/आदेश पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।